


राजस्थान सरकार
सुखद जीवन योजना के अन्तर्गत विकलांग विवाह हेतु अनुदान सहायता प्राप्त करने का
आवेदन - पत्र

सेवा में,

उपनिदेशक/सहायक निदेशक
समाज कल्याण अधिकारी
समाज कल्याण विभाग



वर वधु के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित फोटो

विषय : विकलांग विवाह हेतु सहायता अनुदान प्राप्त करना।

महोदय,

निवेदन है कि हम.....

	वर का विवरण	वधु का विवरण
1. नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. जाति
5. गांव/तहसील

ने दिनांक.....को आपस में स्वेच्छा से विवाह कर लिया है/करने का निश्चय किया है
विवाह तिथि को वर की आयु..... एवं वधु की आयु..... है।

श्रेण/हम जो कि विकलांग है जिसकी पुष्टि में अधिकृत चिकित्सा
अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न हैं अतः हमें रूपये 20,000/- सहायता राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय

1. वर के हस्ताक्षर

2. वधु के हस्ताक्षर

सलग्न :

1. शादी का कार्ड
2. विकलांग प्रमाण पत्र
3. वर-वधु के माता पिता का शपथ पत्र
4. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र वर-वधु का
5. तहसीलदार का आय प्रमाण पत्र
6. माला पहनाते हुए वर वधु का फोटो
7. राशन कार्ड
8. विवाह पंजीयन